



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय  
(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)  
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM AND COMMUNICATION  
(Setup by Act No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्र./अका./2021/ 471

भोपाल, दिनांक 15-03-2021

आदेश

विश्वविद्यालय की संशोधित अधिसूचना क्रमांक/अका./2017/1409 दिनांक 05-09-2017 द्वारा मीडिया एवं कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों में च्वाईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS) लागू किया गया है। इसके अन्तर्गत समस्त पाठ्यक्रमों के विषयों को CCC, CCE, AEC एवं OE श्रेणी में विभाजित किया गया है। विश्वविद्यालय में संचालित मीडिया, प्रबंधन, कम्प्यूटर फैकल्टी के स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रश्नपत्रों को प्रावधानानुसार 6,4,3 एवं 2 क्रेडिट में विभाजित किया गया है। विश्वविद्यालय के सभी विभाग, परिसर एवं संबद्ध अध्ययन संस्थाओं में समस्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के सभी प्रश्नपत्रों में क्रेडिट के आधार पर अध्यापन की व्यवस्था निर्धारित की गयी है।

प्रत्येक सेमेस्टर में कुल 90 दिन कक्षाएँ होगी, प्रत्येक दिन में 6 घंटे पढाई होगी। इस प्रकार कुल 540 घंटे प्रत्येक सेमेस्टर में अध्ययन कार्य होगा। सामान्यतः प्रत्येक सेमेस्टर में विद्यार्थियों को 24 क्रेडिट प्राप्त करने होते हैं, अतएव एक क्रेडिट के लिए शिक्षकों को 23 घंटे के औसत से अध्यापन कार्य करवाना होगा।

(वरिष्ठ स्तर से अनुमोदित)

आदेशानुसार

(प्रो. (डॉ.) अविनाश वाजपेयी)  
कुलसचिव

भोपाल, दिनांक 15-03-2021

पृ. क्र./अका./2021/ 472

प्रतिलिपि -

1. निज सचिव कुलपति, निज सहायक कुलसचिव को सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्षगण/परिसर प्रभारी को सूचनार्थ।
3. निदेशक संबद्ध अध्ययन संस्था के माध्यम से संबद्ध अध्ययन संस्थाओं को सूचनार्थ।
4. परीक्षा नियंत्रक को सूचनार्थ।
5. प्रभारी वेबसाईट को वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
6. आदेश पुस्तिका।

(प्रो. (डॉ.) अविनाश वाजपेयी)  
कुलसचिव